

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters)

Tuesday, April 18, 2000 / Chaitra 29, 1922 (Saka)

No.85

DETENTION AND RELEASE OF A MEMBER

The following message addressed to Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha was received from Deputy Commissioner of Police, New Delhi District, New Delhi :-

"I have the honour to inform you that Shri Shoaib Iqbal, Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi alongwith his supporters was detained u/s 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of Police at first barricade, Parliament Street, New Delhi at 2.50 P.M. on 14-04-2000.

He was released alongwith his supporters at 3.00 P.M. from Police Station Parliament Street, on the same day i.e. 14-04-2000."

S.K. SHARMA
SECRETARY

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

॥ विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी ॥
मंगलवार, 18 अप्रैल, 2000 / चैत्र 29, 1922 ॥ शक ॥

संख्या : 85

सदस्य की नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित पुलिस उपायुक्त,
नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ :-

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री शोसब इकबाल को उनके अन्य समर्थकों सहित दिनांक 14. 04. 2000 को अपराह्न 2. 50 बजे, दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत पुलिस के विधि-सम्मत निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण प्रथम बैरिक, संसद मार्ग, नई दिल्ली पर नज़रबंद किया गया ।

उन्हें, उनके समर्थकों सहित, उसी दिन अर्थात् दिनांक 14. 4. 2000 को अपराह्न 3. 00 बजे, पुलिस थाना संसद मार्ग, नई दिल्ली से रिहा कर दिया गया ।"

रत. के. शर्मा
सचिव